



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 960]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2016/वैशाख 1, 1938

No. 960]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2016/VAISAKHA 1, 1938

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2016

**का.आ. 1471(अ).**—यतः, मै. महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो महाराष्ट्र राज्य का पूर्ण स्वामित्व वाला राज्य औद्योगिक संवर्धन संगठन है, ने महाराष्ट्र राज्य के शेन्डे औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद जिले में एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिनियम संबद्ध उद्योग के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2145(अ) दिनांक 22 दिसंबर, 2006 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 118.13 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 द्वारा एस.ई.जेड के क्षेत्र का नाम एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिनियम संबद्ध उद्योग से इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कर दिया गया था।

और यतः, मैं. महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने उनके पत्र सं. एमआईडीसी/डी-3/एस.ई.जेड/ए-47433, दिनांक 17 फरवरी, 2016, से स्पष्ट किया है कि एस.ई.जेड का वास्तविक क्षेत्रफल 118.13 हेक्टेयर, जो मूल रूप से 22 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया था, की जगह 110.31 हेक्टेयर है;

और यतः, मैं. महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 53.09 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, महाराष्ट्र सरकार ने उनके दिनांक 4 अगस्त, 2015 के पत्र सं. एस.ई.जेड-2014/सी.आर-74/आई.एन.डी-2 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, सीप्प विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 53.09 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा **53.09 हेक्टेयर** के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र **57.22 हेक्टेयर** हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित गाट संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:—

#### तालिका

क्र.सं.	गाट सं.	अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.	66	3.63
2.	67	6.47
3.	68	0.33
4.	79	0.63
5.	80	0.004
6.	82	2.13
7.	83	0.45
8.	86	0.38
9.	87	0.19
10.	88	0.86
11.	89	4.89
12.	90	6.25
13.	91	12.95
14.	92	4.0
15.	93	0.85
16.	94	0.57
17.	95	0.6
18.	96	0.64
19.	97	2.05
20.	98	1.72
21.	99	0.87
22.	100	1.74
23.	102	0.89
24.	<b>कुल</b>	<b>53.094</b>
25.	उपर्युक्त अनधिसूचना के पश्चात एसइजेड का कुल क्षेत्रफल	<b>57.22</b>

[फा. सं. एफ. 2/133/2005-एस.ई.जेड]  
डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th April, 2016

**S.O. 1471(E).**—Whereas, M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation, a fully owned State Industrial Promotion Organisation of the State of Maharashtra, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for aluminium and aluminium related industry at Shendre Industrial Area, District Aurangabad in the State of Maharashtra;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 118.13 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 2145(E) dated 22<sup>nd</sup> December, 2006;

And, whereas, the Sector of the SEZ was changed from Aluminium & Aluminium related industries to Engineering & Electronics sector vide Ministry of Commerce and Industry letter dated 15<sup>th</sup> October, 2009;

And, whereas, M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation vide letter No. MIDC/D-3/SEZ/A-47433 dated 17<sup>th</sup> February, 2016 has clarified that the actual area of the SEZ is only 110.31 ha instead of 118.13 ha, which was originally notified on 22<sup>nd</sup> December, 2006;

And, whereas, M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation has now proposed to de-notify an area of 53.09 hectares from the above Special Economic Zone;

And, whereas, the State Government of Maharashtra has given its “No Objection” to the proposal vide Letter No. SEZ-2014/CR-74/Ind-2 dated 04<sup>th</sup> August, 2015.

And, whereas, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 53.09 Hectares from the Special Economic Zone;

Now, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 53.09 hectares**, thereby making resultant area as **57.22 hectares**, comprising the Gat numbers and the area given below in the table, namely:—

**TABLE**

S.No.	Gat No.	Area to de-notified (in Hectares)
1.	66	3.63
2.	67	6.47
3.	68	0.33
4.	79	0.63
5.	80	0.004
6.	82	2.13
7.	83	0.45
8.	86	0.38
9.	87	0.19
10.	88	0.86
11.	89	4.89
12.	90	6.25
13.	91	12.95
14.	92	4.0
15.	93	0.85

16.	94	0.57
17.	95	0.6
18.	96	0.64
19.	97	2.05
20.	98	1.72
21.	99	0.87
22.	100	1.74
23.	102	0.89
24.	<b>Total</b>	<b>53.094</b>
25.	<b>Total Area of SEZ after above deletion</b>	<b>57.22</b>

[F. No. F.2/133/2005-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.